

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मौदगिल, जे.जे. के समक्ष
रूपेन्द्र उर्फ राज कुमार एवं अन्य - अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

2022 का सीडब्ल्यूपी नंबर 3949

14 मार्च, 2022

पूर्वी पंजाब होलिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948-एस.एस. 42 और 43-ए- धारा के तहत पारित आदेश। 42 की समीक्षा नहीं की जा सकती - धारा के तहत आदेश। 43ए पार्टी को नोटिस जारी किए बिना उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला पारित कर दिया गया है - एक समेकन अधिकारी के पास अपने स्वयं के अनुरोध पर या किसी अन्य पार्टी के आवेदन पर किसी भी समय आकस्मिक चूक या चूक को ठीक करने की शक्ति है - हालांकि एक आदेश जो किसी पार्टी या पार्टियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे वैधानिक प्रावधान की आड़ में उन्हें नोटिस जारी किए बिना पारित किया नहीं किया जा सकता - ऐसा आदेश कायम नहीं रह सकता - याचिका स्वीकार की गई।

माना गया कि ऑडी अल्टरम पार्टम कानून का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, जो वैधानिक प्रावधान की आड़ में नहीं हो सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा पेश किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित करने और उपयोग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जो उसे पहले दिया गया है, वह ग़लत हो सकता है।

याचिकाकर्ताओं के वकील विक्रम सिंह।

रजनी गुप्ता, अतिरिक्त. राज्य के लिए ए.जी. हरियाणा।

ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, जे. (मौखिक)

(1) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का कहना है कि आदेश दिनांक 06.11.2019 (अनुलग्नक पी-4) चकबंदी अधिकारी, करनाल द्वारा पूर्वी पंजाब होल्लिंग्स (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम की धारा 43-ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया। 1948 (इसके बाद '1948 अधिनियम' के रूप में संदर्भित), इस तथ्य के प्रकाश में टिकाऊ नहीं है कि उक्त आदेश उन संबंधित पक्षों को कोई नोटिस जारी किए बिना पारित किया गया है जो उक्त आदेश के अनुसरण में प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। वकील ने आगे कहा कि 1948 अधिनियम के तहत समीक्षा की कोई शक्ति नहीं दी गई है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पक्ष में 1948 अधिनियम की धारा 42 के तहत पारित आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है। चकबंदी अधिकारी, करनाल द्वारा याचिकाकर्ताओं और अन्य को कोई नोटिस दिए बिना इस तरह से।

(2) सुनवाई की अंतिम तिथि यानी 02.03.2022 को, राज्य के विद्वान वकील को याचिकाकर्ताओं के वकील के दावे के संदर्भ में निर्देश मांगने के लिए बुलाया गया था कि दिनांक 06.11.2019 का आदेश (अनुलग्नक पी-4) याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए बिना पारित कर दिया गया है, इस तथ्य को राज्य के वकील ने स्वीकार किया है। हालाँकि, उनके द्वारा 1948 अधिनियम की धारा 43-ए के संदर्भ में एक स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि आदेश पारित करने से पहले नोटिस जारी करने या पक्षों को सुनने के लिए उक्त प्रावधान में कोई जनादेश नहीं है।

(3) हमने पार्टियों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है और उनकी सहायता से, रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(4) वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या चकबंदी अधिकारी द्वारा उन पार्टियों को नोटिस जारी किए बिना 1948 अधिनियम की धारा 43-ए के

तहत एक आदेश पारित किया जा सकता है, जो इस तरह के परिवर्तन/सुधार से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। लिपिकीय त्रुटि के कारण.

1948 अधिनियम की धारा 43-ए इस प्रकार है:-

“43ए. लिपिकीय त्रुटियों का सुधार:- इस अधिनियम के तहत किसी योजना में या किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश में लिपिकीय या अंकगणितीय गलतियाँ, जो किसी आकस्मिक चूक या चूक से उत्पन्न होती हैं, किसी भी समय संबंधित प्राधिकारी द्वारा स्वयं या स्वयं के प्रस्ताव से ठीक की जा सकती हैं। किसी भी पक्ष का आवेदन।”

(5) उपरोक्त का अवलोकन केवल चकबंदी अधिकारी को किसी आकस्मिक चूक या चूक को किसी भी समय अपने स्वयं के अनुरोध पर या किसी भी पक्ष के आवेदन पर सही करने की शक्ति प्रदान करेगा। इसका मतलब यह होगा कि जिस पार्टी पर ऐसी शक्ति के प्रयोग से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उसे इसके बारे में अवगत नहीं कराया गया है या उसे उक्त प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों की सहायता करने और विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है। इस मामले में, यह एक ऐसा आदेश होगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रावधानों के उल्लंघन में पारित होने वाले किसी पक्ष या पार्टियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, जो कायम नहीं रह सकता।

(6) ऑडी अल्टरम पार्टम कानून का एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, जो वैधानिक प्रावधान की आड़ में नहीं हो सकता है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा पेश करने की मांग की जा रही है, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति को उसके अधिकार से वंचित करने और वंचित करने के लिए किया जा सकता है। जो उसे पहले दिया गया है, वह ग़लत हो सकता है।

(7) उपरोक्त के आलोक में, हम चकबंदी अधिकारी, करनाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 (अनुलग्नक पी-4) को रद्द करते हैं और उक्त प्राधिकारी को सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के बाद एक नया

मौखिक आदेश पारित करने का निर्देश देते हैं। और उन्हें सुनवाई का अवसर देना।

उपरोक्त शर्तों के तहत रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

डॉ पायल मेहता

अस्वीकरण:—स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक व अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अग्रंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

संगीता, अनुवादक, सोनीपत।